न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–913/2025</u>

सालिमपुर थाना कांड संख्या–135/2015

अंतर्गत धारा–447, 448, 323, 324, 307, 379, 504, 506 भा0द0वि0

06.04.2026 याचिकाकर्ता 1. आरती कुमारी की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 26.07.2025 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि अंतर्गत धारा–447, 448, 323, 324, 307, 379, 504, 506 भा0द0वि0 से संबंधित सालिमपुर थाना कांड संख्या 135/2015, दिनांक 09.11.2015, की नामित अभियुक्ता हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि आवेदिका की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आगे उनका कहना है कि आवेदिका निर्दोष हैं, वे महिला हैं, इनके द्वारा कोई–भी अपराध–कारित नहीं किया गया है और न ही इनका कोई पूर्व में अपराधिक इतिहास है। अन्य अभियुक्तों में राज कुमार सिंह और जयलानी कुमार को निचली अदालत से दिनांक–12.09.2025 को जमानत का लाभ दिया गया है, इनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। इस वाद में आवेदिका के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदिका अभियुक्ता न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदिका अभियुक्ता को भी जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि इस वाद के सूचक–जितेन्द्र कुमार के परिवाद–पत्र के आधार पर यह वाद दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि दिनांक–01.06.2015 को समय शाम 04.00 बजे परिवादी अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे तभी राज कुमार सिंह को अभियोगी द्वारा कहा गया कि जमीन एवं रास्ता पर से ईंट का टुकड़ा हटा ले, इतना कहने पर राज कुमार सिंह गाली–गलौज करने लगे तथा आरती कुमारी और जयलानी कुमार आ गए। आरती कुमारी ईंट से सूचक की छाती पर मारी इसके बाद सभी लोग शरीर के अन्य भाग अर्थात् चेहरा एवं छाती पर वार करने लगे। आरती कुमारी सूचक के गले से बजरंगबली का ताबीज जिसकी कीमत लगभग चालीस हजार रूपए था, ले ली। राज कुमार सिंह के द्वारा भी सूचक को लाठी से मारा गया। घटना के बाद सूचक को पुलिसकर्मी ईलाज–हेतु बख्तियारपुर अस्पताल ले गए।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि उभयपक्षों के बीच ईंट का टुकड़ा हटाने को लेकर मार–पीट एवं गाली–गलौज हुआ है। अन्य अभियुक्तों को जमानत का लाभ दिया जा चुका है। आवेदिका महिला हैं। कांड दैनिकी के कंडिका–60 के अवलोकन से यह विदित् होता

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–913 / 2025
सालिमपुर थाना कांड संख्या–135 / 2015
अंतर्गत धारा–447, 448, 323, 324, 307, 379, 504, 506 भा0द0वि0

लगातार

06.04.2026

है कि सूचक के जख्म की प्रकृति साधारण है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका अभियुक्ता–1. आरती कुमारी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदिका के आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो समान प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़